सं0:वे0आ0–2–784/दस–08–47 रिट/05

प्रेषक,

श्री बी.एन.दीक्षित,
सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 10 नवम्बर, 2008

विषयः विशेष अपील सं0–280/2005 श्री मनोज कुमार त्रिवेदी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा विशेष अपील सं0–281/2005 श्री महेश चौबे व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय बेन्च लखनऊ के आदेश दिनांक 05–10–2006 के अनुपालन में लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पदों को 80:20 में विभाजन की नई तिथि का निर्धारण किया जाना।

महोदय,

विशेष अपील सं0–280/2005 श्री मनोज कुमार त्रिवेदी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा विशेष अपील सं0–281/2005 श्री महेश चौबे व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय बेन्च लखनऊ के अन्तरिम निर्णय दिनांक 05–10–2006 द्वारा चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट (राज्य सरकार के मामले में यह समता समिति/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियाँ है) के आधार पर लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पदों को 80:20 में विभाजित कर उसके अनुसार लेखाकार के पदों पर नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु ऐसी तिथि निर्धारित करने के आदेश प्रदान किये गये हैं, कि जिससे सीधी भर्ती के लेखाकारों की वरिष्ठता अन्याय पूर्ण अथवा अनुचित ढंग से (unjustly or unduly) प्रभावित न हो। मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में समता समिति/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर प्रदेश के लेखा संवर्ग के पदों को लेखाकार एवं सहायक लेखाकार में 80:20 में विभाजित किये जाने विषयक शासन के निर्णय जिसे अर्धशासकीय पत्र सं0–वे0आ0–1–1651/10–92–101(एम)/89 दिनांक 29जुलाई, 1992 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया गया था, की व्यवस्था को संशोधित करते हुए निम्नानुसार लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) समता समिति/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर शासन के निर्णय को सचिव वित्त के अर्द्धशासकीय पत्र सं0–वे0आ0–1–1651/दस–92–101 (एम)/89 दिनांक 29जुलाई, 1992 द्वारा समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था।

उक्त निर्णय के अनुपालन में पदों के विभाजन विषयक शारानादेश से लेखाकार के उपलब्ध पदों पर ऐसे सहायक लेखाकारों को दिनांक 29 जुलाई,

1992 से नियमित रूप से प्रोन्नत माना जायेगा जो सम्बन्धित सेवा नियमों/कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु अर्ह हो।

(2) उपर्युक्त व्यवस्था के फलस्वरूप सीधी भर्ती के ऐसे लेखाकार जो दिनांक 29जुलाई, 1992 के पूर्व तक नियुक्त हो चुके हैं, वे ऐसे सहायक लेखाकारों से वरिष्ठ बने रहेंगे, जिन्हें दिनांक 29जुलाई, 1992 से लेखाकार के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत माना जा रहा है।

(3) सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के पदों के विभाजन के लागू होने की नयी तिथि दिनांक 29जुलाई, 1992 निर्धारित होने के फलस्वरूप ऐसे सहायक लेखाकार, जो दिनांक 01.01.86 से दिनांक 29जुलाई, 1992 के पूर्व तक लेखाकार के पद व वेतनमान में सम्बन्धित सेवा नियमों/कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत प्रोन्नत हुए बिना नियुक्त किये जा चुके हैं, से वसूली की स्थिति आयेगी। यह देखते हुए कि उक्त लाभ प्राप्त कर चुके पदधारकों में से वर्ष 1986 से अब तक बड़ी संख्या में पदधारक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और उनसे वसूली/समायोजन किया जाना व्यवहारिक रूप से कठिन भी है, और मानवीय दृष्टिकोण से उपयुक्त भी नहीं है, यह निर्णय लिया गया है, कि पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत जिन सहायक लेखाकारों को दिनांक 29जुलाई, 1992 से पूर्व लेखाकार के पद पर उक्तानुसार नियुक्त किया जा चुका है, उन्हें उक्त पद पर समायोजन/प्रोन्नति की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत माना जायेगा। उपर्युक्त स्थानापन्न पदोन्नत के आधार पर ऐसे पदधारकों को परिणामी ज्येष्ठता का कोई लाभ देय न होगा। परन्तु उन्हें प्राप्त हो चुका उच्च वेतनमान का वित्तीय लाभ संरक्षित रहेगा और सीधी भर्ती के लेखाकारों की ज्येष्ठता इससे कुप्रभावित नहीं होगी।

(4) ऐसे लेखाकार जो दिनांक 01.01.86 से दिनांक 29.7.1992 के पूर्व तक वास्तविक रिक्ति के विरूद्ध सम्बन्धित सेवा नियमों/कार्यकारी आदेशों की व्यवस्था के अनुसार पदोन्नति प्राप्त कर चुके हैं उन्हें वास्तविक पदोन्नति की तिथि से ही लेखाकार के पद पर नियमित पदोन्नत माना जायेगा तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ भी देय होगा।

(5) ऐसे वरिष्ठ लेखा परीक्षक, जो सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु संयुक्त पात्रता सूची में सम्मिलित होते हैं, के लिये भी 80:20 में विभाजित पदों पर लेखा परीक्षक से वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की वही प्रकिया अपनायी जायेगी, जो सहायक लेखाकार से लेखाकार के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित की गयी है।

2. उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार लेखाकार के पद पर विनियमित नियुक्ति की संशोधित तिथि के अनुसार लेखाकार/वरिष्ठ लेखा परीक्षक की विभागीय वरिष्ठता सूची बनायी जायेगी तथा संशोधित विभागीय वरिष्ठता सूची के आधार पर निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश द्वारा सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता सूची तैयार की जायेगी।

3. समता समिति/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय, जो वित्त विभाग के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 29जुलाई, 1992 द्वारा संसूचित किया गया, के परिपालन में लेखाकार तथा सहायक लेखाकार एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक के 80:20 में विभाजित उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–एस–3–945/दस–2003–100(63)/99 दिनांक 22मई, 2003 तथा शासनादेश स0–वे0आ0–2–151/दस–1030/दस–05 दिनांक 11फरवरी, 2006 एवं उक्त विषयक समय–समय पर निर्गत अन्य विभागीय शासनादेश भी उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

4. इस शासनादेश की व्यवस्था विशेष अपील सं0–280/2005 श्री मनोज कुमार त्रिवेदी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा विशेष अपील सं0–281/2005 श्री महेश चौबे व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेशों के अधीन होगी।

5. कृपया अपने अधीन लेखा संवर्ग तथा लेखा परीक्षा इकाइयों के लेखा परीक्षा संवर्ग के सम्बन्ध में तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

बी.एन.दीक्षित
सचिव।

सं0:वे0आ0–2 /दस–47रिट/05, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) मा0 राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
(3) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय।
(4) रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(5) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(6) निदेशक, कोषागार,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।